



# मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेय कालोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742 e-mail: [it.mppcb@rediffmail.com](mailto:it.mppcb@rediffmail.com)

कमांक

स्था/प्रनिबो/2017

भोपाल, दिनांक

## -: कार्यालय आदेश :-

मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 5-1/2013/1/3, भोपाल दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड की 143 वीं बैठक दिनांक 13/1/2017 द्वारा म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड "स्थायी कर्मियों को विनियमित करने की योजना" के तहत बोर्ड के ऐसे दैनिक वेतन भोगी जो दिनांक 16 मई, 2007 को कार्यरत थे, व दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को भी कार्यरत हैं को उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथ पत्र अनुसार स्थायीकर्मियों में कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रेणी में रखते हुये, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 07 अक्टूबर 2016 की कंडिका 1.2 एवं 1.3 के अनुसार वेतनमान, वेतनवृद्धि एवं मंहगाई भत्ते की गणना करते हुये श्री माता प्रसाद तिवारी, उपयंत्री (दैनिक वेतन भोगी) को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से स्थायीकर्मियों की श्रेणी प्रदान की जाती है :-

क.	कर्मचारी का नाम	कार्यभार ग्रहण दिनांक	नवीन पदस्थापना स्थान	स्थायीकर्मियों श्रेणी कुशल/ अर्द्धकुशल, अकुशल	वेतनमान	1/9/16 को देय वेतन एवं मंहगाई भत्ता
1	2	3		4	5	6
<b>तकनीकी संवर्ग</b>						
1	श्री माता प्रसाद तिवारी	21/04/97	क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल	कुशल	5000-100-8000	6900/- 8625/-

- उपरोक्त स्थायीकर्मियों विनियमितीकरण-संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथ पत्र में दी गई जानकारी अनुसार है। अतः कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत जानकारी असत्य पाये जाने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- बोर्ड उपरोक्त आदेश को संशोधित करने अथवा निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।
- उपरोक्त आदेश में वर्णित प्रथम नियुक्ति दिनांक को वरिष्ठता मना गया है। जिसमें 01 सितम्बर 2016 को पूर्व में किये गये प्रत्येक वर्ष के आधार पर वेतनवृद्धि की गणना कर उस दिनांक को देय वेतन एवं मंहगाई भत्ते को अंकित किया गया।

4. दिनांक 01 सितम्बर 2016 के पूर्व की वेतनवृद्धि हेतु किसी प्रकार की एरियर राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। दिनांक 01 सितम्बर 2016 के पश्चात एरियर राशि का भुगतान आगामी माह के वेतन में किया जायेगा।
5. दैनिक वेतन भोगी से बनाये गये स्थायीकर्मियों पूर्वानुसार चिकित्सा भत्ता देय होगा, मंहगाई भत्ता तथा अन्य सुविधायें स्थायी कर्मों विनियमितीकरण योजना 2017 के अनुसार देय होंगी।
6. उपरोक्त स्थायीकर्मों आदेश जारी होने के दिनांक से 02 वर्ष तक सामान्यतः पदस्थापना स्थान में परिवर्तन के पात्र नहीं होंगे।
7. स्थायीकर्मियों द्वारा नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही उक्त सुविधा का लाभ देय होगा।
8. आदेश जारी होने की दिनांक से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में सेवायें स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित

( सुधीर श्रीवास्तव )

प्रशासकीय अधिकारी

म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

भोपाल, दिनांक

01 APR 2017

पृ०क० 387 स्या/प्रनिबो/2017

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. वित्त अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सतना/शहडोल की ओर सूचनार्थ।
5. श्री माता प्रसाद तिवारी, उपयंत्री (दैनिक वेतन भोगी) क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सतना की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. आई.टी. शाखा/व्यक्तिगत नस्ती/गार्ड फाइल।